

Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

बाबूलाल

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त
कलक्टर (प्रशासन) अधिकारी चित्तौड़गढ़कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
किस्म मुकदमा अपील (सूचना का अधिकार) नं० 012 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2024	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी बाबूलाल जाजू निवासी ए-125, 126 कुमुद विहार-1, होटल फ्लोरा पार्क के सामने भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) (मोबाईल 98290 47200) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2023 प्रेषित किया गया है, जिसकी विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) प्रस्तुत आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के प्रथम अपील आवेदन दो प्रतियों में मय आवेदन शुल्क भारतीय डाक आदेश संख्या एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति के प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया विधि द्वारा प्रावधित किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक निल जो कि इस न्यायालय को दिनांक 14.02.2024 को प्राप्त हुआ है के साथ अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2023, आवेदन शुल्क एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि प्रथम अपील ग्रहण किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजात है। ऐसी स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2023 की छाया प्रति के साथ सुपाठ्य एवं स्पष्ट पोस्टल रसीद की प्रति के साथ नवीन प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करवें। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्दाज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।</p>	



-S/D-

(आलोक रंजन)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
22.02.2024